इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल 2013—चैत्र 25, शक 1935

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. एफ 3-16-2011-साठ.—मंत्रि-परिषद की दिनांक 03 अप्रैल 2013 को सम्पन्न बैठक में मध्यप्रदेश में लघु जल आधारित विद्युत (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति, 2011 में संशोधन अनुमोदित किया गया है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव.

(परिशिष्ट—घ)

विषय.—प्रदेश में लघु जल आधारित विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लघु जल आधारित विद्युत परियोजना नीति—2011 में संशोधन.

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लघु जल परियोजना प्रोत्साहन नीति—2011 घोषित की है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 482 दिनांक 3 नवम्बर 2011 को किया गया है.

''लघु जल आधारित विद्युत परियोजना नीति—2011'', में निम्नानुसार संशोधन किया जा कर नीति के अंतर्गत क्रियान्वित या प्रत्यार्पित सभी परियोजनाओं हेतु अनुमोदित किया जाता है:—

1. कंडिका 3.0 : प्रतिभागिता के अंश ''उसका अंश 51 प्रतिशत या अधिक हो अधिकृत होगी.'' के स्थान पर ''उसका अंश 26 प्रतिशत या अधिक हो अधिकृत होगी.'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. कंडिका 4.2.2 : परियोजना आवंटन प्रक्रिया प्रावधान के अंश ''विभाग द्वारा परियोजना आवंटन हेतु वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में एक बार या कम से कम चार बार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे.'' के स्थान पर ''विभाग द्वारा परियोजना आवंटन हेतु समय-समय पर, वर्ष में सामान्यत: 2 बार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे.'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. कंडिका 5.1.2 : "LOA जारी होने के 7 दिवस के अंदर विकासक अपनी सहमति देगा" के स्थान पर "LOA जारी होने के 15 दिवस अंदर विकासक अपनी सहमति देगा." प्रतिस्थापित किया जाता है.

4. कंडिका 5.1.3 : "विकासक को परियोजना निष्पादन गारण्टी (Performance guarantee) LOA जारी होने के 30 दिवस के अंदर जमा करना होगा," के स्थान पर "विकासक को परियोजना निष्पादन गारण्टी (Performance guarantee) LOA जारी होने के 45 दिवस के अंदर जमा करना होगी." प्रतिस्थापित किया जाता है.

5. कंडिका 5.1.3 (अ) : का समावेश करते हुए प्रावधान किया जाता है कि, "कंडिका 5.1.2 एवं कंडिका 5.1.3 में प्रावधानित किया जाता है कि, "कंडिका 5.1.2 एवं कंडिका 5.1.3 में प्रावधानित समय-सीमा में परिस्थितिवश परिवर्तन की आवश्यकता पर विभाग की अनुमति से कार्यवाही की जा सकेगी."

6. कंडिका 5.4.1: परियोजना विकास की समीक्षा की ताल्लिका के कालम—3 में "50 प्रतिशत या अधिक परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की गणना के मापदण्डों को संकेतक चरणों" के स्थान पर "50 प्रतिशत या अधिक परियोजना की वित्तीय प्रगति की गणना के मापदण्डों को संकेतक चरणों के अनुसार किया जायेगा." प्रतिस्थापित किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.